न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं. 67/16 ता.रजू 5.10.16

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

रामखिलाड़ी पुत्र श्री सॉवल जाति मीना निवासी - मापौपुरा तहसील टोडाभीम जिला - करौली

(सायल)

बनाम

1. चेतराम पुत्र सूल्ला
2. विश्राम } पि० चेतराम
3. बनवारी }
4. विजेन्द्र }
5. सहीराम } पि० धनफूल
6. रामचरन }
7. मुकेश } पि० सहीराम
8. लल्लू }
9. पप्पू }
10. भीमन पुत्र रामचरन
11. मुकेशी पत्नि बनवारी

समस्त जाति मीना निवासी - मापौपुरा तहसील - टोडाभीम जिला - करौली

12. तहसीलदार टोडाभीम

(गैरसायल)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री सैयद शोहरत अली एडवोकेट (सायल)
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (गैरसायल) 1 ता. 4

निर्णय दिनांक 7.4.2017

संक्षेप में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 0.49 है०, 348 रकबा 0.27 है०, 349 रकबा 0.24 है०, 382 रकबा 0.50 है०, 383 रकबा 0.45 है०, 383/622 रकबा 0.01 है० कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 है० भूमि ग्राम मापौपुरा तहसील टोडाभीम में स्थित है जो सायल के

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली) (लगातार)

कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है यह भूमि सायल को उसके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस भूमि की खातेदारी जमाबंदी में सायल के नाम दर्ज है। सायल ही लगातार फसल दर फसल काश्त कर रहा है। उक्त भूमि पर सायल का कब्जा है। अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई भी संबंध किसी प्रकार का नही है। इसबार भी उक्त भूमि पर सायल ने बाजरा की फसल काश्त कर दरोह किया है। वाका दिनांक 3.10.2016 को शाम करीब 5 बजे का है कि सायल अपने उक्त वर्णित आराजीयात की देखभाल कर रहा था, तो सभी गैरसायलान हाथो में लाठी, डण्डा लेकर आ गये और आते ही सायल को ऐलानियां धमकी दी कि हम तुझे इस बार तेरे खेतों में काश्त नही करने देंगें। तेरे खेतों पर हम कब्जा करेंगें। सायल ने हाथ जोड कर निवेदन किया तो गैरसायलान नाराज हो गये, गाली गलौच करने लगे। सायल द्वारा अन्य लोगों को बुलाने पर उन्हें समझाया लेकिन वे मानने को तैयार नही है। और लट्ठ के बल पर जबरन सायल की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। सायल की भूमि हडपना चाहते है और कब्जा कर रहन वय करना चाहते हैं। अगर गैरसायल अपनी इस कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। इस तरह प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला दावा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि उक्त वर्णित में किसी प्रकार की कोई दखल मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे नाहि किसी अन्य से करावे। मोकाबिल काश्त नही बनावे। जबरन भूमि पर कब्जा नही करे नाहि रहन वय करें। सायल को शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैरसायल नं. 5 लगायत 12 बावजूद सूचना उप० नहीं हुए इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। गैरसायल नं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजीयात के ग्राम माधोपुरा में स्थित होना स्वीकार है, सायल उक्त वर्णित आराजीयात को सायल लगातार काश्त नहीं कर रहा है नाहि फसल दर फसल काश्त कर

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

रहा है उक्त आराजी के अपने हिस्से पर गैर सायल नं. 1 लगायत 4 अपने बुजुर्गों के समय से काश्त कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य एकदम गलत मनगढ़न्त दर्ज किये है। गैरसायलान की कभी कोई बातचीत नहीं हुई नाहि धमकी दी बल्कि गैरसायलान अपने हिस्से पर काबिज हैं दावा गलत पेश किया है। खारिज होने योग्य है। सायल ने गैरसायलान को अपने बुजुर्गों से मिली आराजीयात को गलत रूप से अपने नाम कराके दीगर व्यक्तियों को बेचान करके रजिस्ट्री करादी है। 20सो साल से विवाद चल रहा है। बेदखल करना चाहता है। गलत दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है। जवाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि इस भूमि के साबिक ख. नं. 145 भगवानसिंह, दिलसुख, सांवल के नाम संयुक्त खातेदारी में रही थी संवत् 2029-2031 में गैरसायलगण के बुजुर्ग साँवल पुत्र कन्हैया के नाम खातेदारी दर्ज रही है। सांवल व उसका भाई गोरधन, मूला काबिज रहे तथा काश्त करते रहे। गोरधन, सांवल, मूला तीन भाई थे, सांवल की शादी जलकी से हुई थी। जलकी के सांवल के बिन्द से धनफूल व चेता पैदा हुए। धनफूल व चेता के कम उम्र में ही जलकी फौत हो गई तथा सांवल एक अन्य औरत बसन्ती तथा उसके पुत्र सायल को ले आया तथा सांवल के मरने के बाद अपनी पहुंच व पैठ से सांवल की भूमि का सायल का नाम विरासत में उत्तराधिकारी घोषित करवाकर नामा० संवत् 2032-2035 की जमाबन्दी में नोट डलवा दिया है। लेकिन गैरसायलान आज भी 1/3 हिस्से पर काबिज है। कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा यह भी कथन किया कि गैरसायलान जबरदस्ती सायल को बेदखल करना चाहते हैं जबकि उनका सायल की भूमि से कोई संबंध किसी भी प्रकार से नहीं है। गैरसायलान द्वारा पेश किये जवाब में जो यह अंकित किया है कि सांवल की शादी जलकी से हुई है जलकी व सांवल के बिन्द से धनफूल व चेता उत्पन्न हुए हैं बिल्कुल गलत है। सांवल का एक मात्र पुत्र सायल रामखिलाड़ी ही है। सही बात तो यह है कि धनफूल के पिता का नाम गोरधन है तथा चेता के पिता का नाम मूला है। तथा जलकी सांवल की पत्नि न

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

होकर चनफूल की पत्नि थी। इस कथन के समर्थन में टोडाभीम विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र की नामावली 1980 भाग सं. 91 गांव माधोपुरा क्रम संख्या 15 की फोटो प्रति दौराने बहस प्रस्तुत की। जिसका उल्लेख क्रम संख्या 265, 266, 267 पर हो रहा है। तथा इसी भूमि के विवाद को लेकर राज्य सरकार की ओर से गैरसायलान के विरुद्ध सिविल न्यायालय टोडाभीम में भी आपराधिक मुकदमा पेश किया था उसमें भी दोषी मानते हुए जमानत मुचलकों से पाबन्द इस शर्त के साथ किया गया कि सदव्यवहार एवं परिशांति बनाये रखेंगे। अतः निवेदन है कि गैरसायलान को सायल के खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि में मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु तादावा फैसला पाबंद किया जावे। तथा गैरसायलान ने खातेदारी करने का दावा खारिज करालिया

वकील गैरसायल नं. 1 ता 4 ने बहस मे कथन किया कि गैरसायल बजमाने बुजुर्गान अपने हिस्से 1/3 की आराजी पर लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। सायल का कब्जा नही है। सायल ने गलत रूप से भूमि अपने नाम कराली है खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान को नाजायज परेशान किया जा रहा है। कब्जे के अभाव में सायल का प्रार्थना पत्र एवं दावा चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

वकील आय की बहस सुन व समक्ष दस्तावेजो का अवलोकन कर मौके पर कब्जे के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करना उचित मानते हुए उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज व्यक्ति की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के आदेश दिये गये। पटवारी हल्का से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख.नं. 348, 349, 382, 383, 383/622 की भूमि पर रामखिलाड़ी पुत्र सांवल का कब्जा काश्त होना तथा ख.नं. 347 के 1/2 भाग पर भी रामखिलाड़ी पुत्र सांवल का कब्जा काश्त होना तथा 1/2 भाग खाली होना है। जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 ग्राम माधोपुरा के खाता संख्या 108 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 347, 348, 349, 382, 383, 383/622 कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 है०

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

की खातेदारी सायल राम खिलाड़ी के नाम दर्ज है। गैरसायलान का उक्त भूमि से कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है।

प्रथम दृष्ट्या - प्रार्थना पत्र में वर्णित अराजीयात की खातेदारी सायल के नाम दर्ज रिकार्ड होने से प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलन - खातेदारी की भूमि सायल नाम के होने तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार कब्जा भी सायल का होने के कारण सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में है।

अपूर्तनीय क्षति - प्राईमाफेसी केश एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में होने से यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से - पाबन्द नहीं किया जाता है तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को तादावा फैसला पाबंद किया जाता है कि ग्राम माधोपुरा तहसील टोडाभीम स्थित भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 0.49 है०, 348 रकबा 0.27 है०, 349 रकबा 0.24 है० 382 रकबा 0.50 है० 383 रकबा 0.45 है० 383/622 रकबा 0.01 है० कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 है० में सायल के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मजामहत मदाखलत न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें। सायल की भूमि को नाकाबिले काश्त नहीं बनावे। जबरन कब्जा नहीं करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.4.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। लिखाया जाकर शामिल किया।

(ज... आर्य)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)